



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 22 जनवरी, 2021  
माघ 2, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या-05/2021/1976/सात-न्याय-2-2020-27जी-2016टीसी  
लखनऊ, 22 जनवरी, 2021

### अधिसूचना

#### प०आ०-61

सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कुटुम्ब अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से सरकारी अधिसूचना संख्या 7/2016/162/सात-न्याय-2-2015-27जी-2016 दिनांक 25 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

#### संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	जिला का नाम
64	सन्त कबीर नगर

आज्ञा से,  
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 05/2021/1976/VII-Nyay-2-2020-27G-2016TC, dated January 22, 2021:

No. . 05/2021/1976/VII-Nyay-2-2020-27G-2016TC

*Dated Lucknow, January 22, 2021*

In exercise of the powers under clause (b) of sub-section (1) section 3 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1987) the Governor in consultation with the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in Government Notification no. 07/2016/162/VII-Nyay-2-2015-27G-2016, dated February 25, 2016.

AMENDMENT

Serial (No.)	Name of district
64	Sant Kabir Nagar

By order,

PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,

*Pramukh Sachiv.*